महत्वपूर्ण/समयबद्ध

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड, 85/87—राजपुर रोड, देहरादून.

पत्र संख्या नि.2034/3–3 (मांग प्रस्ताव/वा0का0यो0) देहरादून, दिनांक 4 अप्रैल 2018

सेवा में,

समस्त आहरण वितरण अधिकारी,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

विषयः— **वित्तीय वर्ष 2018—19 हेतु विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत योजनावार/मानक मदवार मांग प्रस्ताव एवं Annual Action Plan (वार्षिक कार्य विवरण) उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2018—19 हेतु विभागीय विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत आय—व्ययक को शासन से अवमुक्त कराये जाने एवं उसके आहरण वितरण वितरण अधिकारियों को आवंटन किये जाने हेतु संलग्न निर्धारित प्रपत्र— **1 व 2(अ), 2(ब)** में मांग प्रस्ताव एवं Annual Action Plan (वार्षिक कार्य विवरण) की इस कार्यालय को तत्काल आवश्यकता है।

आपसे अपेक्षा है कि उक्त निर्धारित प्रपत्रों में अपने कार्यालय की सूचना पूर्ण परीक्षण उपरान्त भरकर **दिनांक 20—04—2016** तक इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से **(सम्बन्धित सहायक के माध्यम से)** उपलब्ध करा दिया जाये। मांग प्रस्ताव वास्तविकता पर आधारित हो ताकि उसके सापेक्ष धनावंटन होने के उपरान्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समर्पण न्यूनतम हो।

अवशेष देयता **(Liability)** केवल बचनबद्ध मदों जैसे— स्थानान्तरण यात्रा व्यय, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, व्यावसायिक सेवायें, अवकाश यात्रा व्यय आदि अधिष्ठान सम्बन्धी मदों के सापेक्ष ही मान्य होगी। बजट की प्रत्याशा में अन्य मानक मदों के अन्तर्गत किये गये कार्यों को उक्त श्रेणी के अन्तर्गत नहीं माना जायेगा। मानक मद 05—स्था0यात्रा व्यय, 16—व्यावसायिक सेवा, 17—किराया उपशुल्क, 18—प्रकाशन, 19—विज्ञापन, 27—चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति तथा 45—अवकाश यात्रा व्यय के अन्तर्गत अधिकारी/कर्मचारीवार अथवा फर्म/देयकवार देय धनराशि का विवरण प्राप्त होने पर ही मांग के सापेक्ष धनराशि का आवंटन सम्भव होगा।

उक्त मांग प्रस्ताव को प्रेषित करने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि साख—सीमा एवं कोषागार मदों की मांग को एक साथ एक ही प्रस्ताव में प्रेषित किया जाय न कि अलग—अलग जैसा कि प्रायः आपके द्वारा किया जाता है ताकि मांग के संकलन व उसके सापेक्ष आवंटन में असुविधा न हो। समस्त प्रभागीय वनाधिकारी अपना मांग प्रस्ताव अपने वन संरक्षक/निदेशक के माध्यम से उनकी संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

कतिपय योजनाओं जिनके लिए नोडल अधिकारी नामित हैं जैसे— बांस प्रजातियों का रोपण, वन पंचायतों की सुदृढीकरण योजना, वोमैन कम्पोनैन्ट के अन्तर्गत नर्सरी विकास कार्य तथा इको टूरिज्म के सम्बन्ध में प्रभागवार/कार्यालयवार सूचना सम्बन्धित नोडल अधिकारी के कार्यालय द्वारा अपने स्तर पर पूर्ण परीक्षण करने के उपरान्त इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

04-4-18

(गम्भीर सिंह)
प्रमुख वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन।

संख्याः नि.2034/3–3 (मांग प्रस्ताव/वा0का0यो0) उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

04-4-18

(गम्भीर सिंह)
प्रमुख वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन।

Scanned by CamScanner